संख्या-188/2024/1229/001-1229-23-10-16-2024

प्रेषक,

शेषनाथ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-10 **लखनऊ: दिनांक 12 नवम्बर, 2024**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-2025 में राज्य योजना (सामान्य) के अंतर्गत विभिन्न जनपदों के कुल 10 लघु नये सेतुओं के निर्माण कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (सेतु विंग) उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-768/प्रा0आगणन-रामपुर (कादरीगंज)/सेतु-6/24-25 दिनांक 14.08.2024, पत्र संख्या-313/प्रा0आ0/राज्य योजना/झाँसी क्षेत्र/बी0एम0सी0/24 दिनांक 23.08.2024, पत्र संख्या-771/प्रा0आ0/राज्य योजना/वाराणसी क्षेत्र/सेतु-3/24 दिनांक 20.08.2024, पत्र संख्या-782/प्रा0आगणन-अयोध्या/01लघु सेतु/सेतु-3/2024-25 दिनांक 20.08.2024, पत्र संख्या-778/प्रा0आगणन-अयोध्या/02लघु सेतु/सेतु-3/2024-25 दिनांक 20.08.2024 तथा पत्र संख्या-855/प्रा0आ0/राज्य योजना/मीरजापुर क्षेत्र/सेतु-3/24दिनांक 01.09.2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-2025 में अनुदान सं0-57/83 में राज्य योजनान्तर्गत विभिन्न जनपदों के कुल 10 नये दीर्घ सेतुओं के निर्माण कार्य हेतु कुल लागत 2618.72 लाख (रूपये छब्बीस करोड़ अट्ठारह लाख बहत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने तथा उसके सापेक्ष निम्न तालिका के कॉलम-5 में अंकित अनुदान सं0-57 से रू0 1650.64 लाख व कॉलम-6 में अनुदान सं0-83 से रू0 444.34 लाख अर्थात कॉलम-7 में अंकित कुल धनराशि रू0 2094.98 लाख (रूपये बीस करोड़ चौरानबे लाख अट्ठानबे हजार मात्र) की धनराशि श्री राज्यपाल निम्नलिखित विवरणानुसार तथा शर्तों व प्रतिबन्धों सहित अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0	जनपद	कार्य का नाम	लागत (लाख रू0 में)	वित्तीय वर्ष 2024-25 में आवंटन की फांट			कार्यदायी संस्था
				अनुदान सं0-57	अनुदान सं0-83	कुल योग (6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	रामपुर	जनपद रामपुर में बिलासपुर में सहरिया से कादरीगंज के मध्य भाखड़ा नदी पर 3X14 मी0 स्पान के लघु सेतु, पहुँच मार्ग, अतिरिक्त पहुँच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य के नव निर्माण का कार्य।	472.22	297.65	80.13	377.78	लो0नि0वि0

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2	झाँसी	जनपद झाँसी में दबोह-पूँछ-गुरसराय-टीकमगढ़ (एस0एच0-131) मार्ग के किमी0 15.00 मे लोकल नाले पर लघु सेतु सुरक्षात्मक कार्य एवं पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य	186.86	117.78	31.71	149.49	लो0नि0वि0
3	झाँसी	जनपद झाँसी में दबोह-पूँछ-गुरसराय-टीकमगढ़ (एस0एच0-131) मार्ग के किमी0 20.00 (चितगवां) में सिंचाई विभाग की हमीरपुर माईनर पर लघु सेतु सुरक्षात्मक कार्य एवं पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य	367.23	231.47	62.31	293.78	लो0नि0वि0
4	झाँसी	जनपद झाँसी में बबीना-टूका मार्ग (अ0जि0मा0) के किमी0-1 में लघु सेतु का निर्माण कार्य	207.45	130.76	35.20	165.96	लो0नि0वि0
5	गाजीपुर	जनपद गाजीपुर में गोमती ब्रिज डायवर्जन मार्ग (अ0जि0मा0) के किमी0-2 में क्षतिग्रस्त पुलिया के स्थान पर 5 X5 X5 मी0 स्पान के बॉक्स कल्वर्ट के निर्माण कार्य	256.02	161.38	43.44	204.82	लो0नि0वि0
6	अयोध्या	जनपद-अयोध्या में मसेढ़ा सम्पर्क मार्ग पर स्थित 3X4X4 मी0 बॉक्स कल्वर्ट एवं पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य	132.86	83.75	22.54	106.29	लो0नि0वि0
7	अमेठी	जनपद अमेठी में विशेषरगंज संग्रामपुर धौरहरा मार्ग (अन्य जिला मार्ग) के किमी0 5 में पुराने एवं संकरे आर्च लघु सेतु के स्थान पर 3X6 मी0 स्पान के आर0सी0सी0 बाक्स सेल कल्वर्ट, पहुंच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य का निर्माण कार्य।	233.65	147.27	39.65	186.92	लो0नि0वि0
8	अमेठी	जनपद अमेठी में माधोपुर हरदोइया (अन्य जिला मार्ग) के किमी0 03 में पुराने एवं संकरे लघु सेतु के स्थान पर 3X5 मी0 स्पान के आर0सी0सी0 बाक्स सेल कल्वर्ट, पहुंच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य का निर्माण कार्य।	137.16	86.46	23.27	109.73	लो0नि0वि0
9	सोनभद्र	जनपद सोनभद्र में मुर्धवा-म्योरपुर-बभनी-चपकी-बीजपुर मार्ग के किमी0-56 में पूर्व निर्मित ध्वस्त लघु सेतु के स्थान पर 13 सेल 4X4 मी0 आर0सी0सी0 बॉक्स लघु सेतु के निर्माण कार्य।	400.43	252.40	67.94	320.34	लो0नि0वि0
10	सोनभद्र	जनपद सोनभद्र में मुर्धवा-म्योरपुर-बभनी-चपकी-बीजपुर मार्ग के किमी0-64 में पूर्व निर्मित ध्वस्त लघु सेतु के स्थान पर 3 सेल 5X5 मी0 आर0सी0सी0 बॉक्स लघु सेतु के निर्माण कार्य।	224.84	141.72	38.15	179.87	लो0नि0वि0
		योगः-	**2618.72**	**1650.64**	**444.34**	**2094.98**	

<u>नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों</u>

(1) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-बी-2-2528/दस-2014-10/77, दिनांक 26.08.2014 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(2) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

(3) कार्य की विशिष्टियां, मानक एवं गुणवत्ता की जिम्मेदारी प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग/ कार्यदायी संस्था की होगी। प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा ।

(5) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(6) विभागाध्यक्ष व संबंधित अधिकारीगण, व्यय वित्त समिति द्वारा लगायी गयी शर्तों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(7) अधिष्ठान व्यय/सेन्टेज चार्ज की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी। अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-ए0-2-23/दस-2011-17(4)/75 दि0 25.01.2011 के साथ पठित शासनादेश संख्या-ए0-2-1606/दस-2014-17(4)/75 दि0 11.11.2014 के अनुसार लोक निर्माण विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्ष में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट करके विभागाध्यक्ष/ संबंधित अधिकारी द्वारा जमा की जायेगी।

(8) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(9) मूल्य ह्रास निधि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक मे जमा करायी जायेगी।

(10) प्रायोजना में भूमि अध्याप्ति का प्राविधान किया गया है। अतः भूमि का क्रय विभागाध्यक्ष द्वारा सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(11) विभागाध्यक्ष द्वारा आगणन में सम्मिलित जी0एस0टी0 की धनराशि वास्तविक रूप से जितनी देय होगी, उतनी ही भुगतान की जायेगी। प्रस्तावित आगणन उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

(12) प्रायोजना की लागत का अनुमोदन प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन तथा बजट आवंटन के उददेश्यो से किया गया है। प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ् कराया जाय।

(13) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुये मात्र दरों के आधार पर परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/विभागाध्यक्ष का होगा।

(14) नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाये।

(15) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व विभागाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(16) विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि आगणन में किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिये क्षेत्रीय अधिकारी/क्षेत्रीय मुख्य अभियंता उत्तरदायी होंगे।

(17) सेन्टेज चार्जेज (प्रतिशत प्रभार), निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से संबंधित वित्तीय प्रबंधन के संबंध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या -02/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 19 मई, 2023 में निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(18) विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि विद्युत/यांत्रिक खण्डों से संबंधित धनराशि मुख्यालय से सीधे विद्युत/यांत्रिक खण्डों (जिसके द्वारा कार्य किया जाना है) को आवंटित की जायेगी।

(19 विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि आगणन में किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिये क्षेत्रीय अधिकारी/क्षेत्रीय मुख्य अभियंता उत्तरदायी होंगे।

(20) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2024/ बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04.03.2024 एवं यथासंशोधित कार्यालय ज्ञाप सं0-4/2024/बी-1-607/दस-2024-231/2024 दिनांक 19.06.2024 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(21) वर्तमान में प्रदेश में विधान सभा के उपचुनाव हेतु प्रभावी आदर्श चुनाव आचार संहिता का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रुपये 16,50,64,000 (रुपये सोलह करोड़ पचास लाख चौंसठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20242025 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 057 लेखा शीर्षक 5054041010403 ग्रामीण सेतुओं का निर्माण मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य (2) रुपये 4,44,34,000 (रुपये चार करोड़ चौवालीस लाख चौंतीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20242025 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 5054047892000 ग्रामीण सेतुओं का निर्माण कार्य मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्यके नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-8-222-X-2024-25-दिनांकः 01.10.2024 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(शेषनाथ)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-188/2024/1229(1) /001-1229-23-10-16-2024, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0, प्रयागराज।
2- संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
3- मुख्य अभियन्ता (सेतु) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
4- संबंधित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
5- संबंधित कोषाधिकारी।
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 ।
7- समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2 ।
8- बजट आवंटन अधिकारी, लो0नि0वि0, उ0प्र0 शासन।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शेषनाथ)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।